

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-07/बैतक-03-01/2016 परि0 3170 पटना, दिनांक-10/5/18

ई-मेल
निबंधित

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :- बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 में हुए संशोधन का संसूचन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम-2 का उपनियम (घ) में किये गये संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या-3108, दिनांक-09 मई, 2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।


अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

liar
10/5/18

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1940 (श0)
(सं0 पटना 423) पटना, बुधवार, 9 मई 2018

परिवहन विभाग

अभिलेखना

9 मई 2018

सं० 07/बैठक-03-01/2016-3103/परि०—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, आरंभ एवं विस्तार ।— (1) यह नियमावली "बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2003 के नियम 2(घ) का प्रतिस्थापन ।— बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम-2 का उपनियम (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।—

"(घ) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग"।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार अग्रवाल,

सरकार के सचिव।

The 9th May 2018

No. 07/Baithak-03-01/2016-3108—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Indian Constitution read with section 213 of the Motor Vehicle Act, 1988, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Transport (Enforcement wing) Cadre Rules, 2003 :-

1. **Short title, extention and commencement.**— (1) These rules may be called The Bihar Transport (Enforcement wing) Cadre (Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rule 2(d) of the said Rules, 2003.**

Sub rule (d) of Rule 2 of The Bihar Transport (Enforcement wing) Cadre Rules, 2003 shall be substituted by the following :-

“(d) ‘*Commission*’ means Bihar Police Subordinate Service Commission.”

By Order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 423-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>